"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2010—माघ 23, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के प्रथम एवं तृतीय चरण के मतदान से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2010 से संलग्न परिशिष्ट "क" में आंशिक संशोधन करते हुए रायपुर जिले से संबंधित सरल क्रमांक 8 के समक्ष अंकित कालम 6 में "आरंग" के स्थान पर "अभनपुर" संशोधित किया जाता है एवं तदनुसार बुधवार दिनांक 03 फरवरी, 2010 को विकासखण्ड "अभनपुर" में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2.—श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से., आयुक्त, सरगुजा सम्भाग, अम्बिकापुर को दिनांक 25-01-2010 से 30-01-2010 (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 एवं 31 जनवरी, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बिहारी आगामी आदेश तक आयुक्त, सरगुजा सम्भाग, अम्बिकापुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बिहारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बिहारी के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. पी. जैन, आयुक्त, बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, सरगुजा सम्भाग, अम्बिकापुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा तथा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 01-02-2010 से 11-02-2010 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-01-2010 एवं 12, 13, 14 फरवरी, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय, आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा तथा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री धनंजय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्रमांक 02/1065/2009/1-8/स्था.—श्री गेबनुस खलखो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग को दिनांक 16-11-2009 से 11-12-2009 तक 26 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गेबनुस खलखो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गेबनुस खलखो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्रमांक 32/02/2010/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-11-2009 एक दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-11-2009 से 5-12-2009 तक 19 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सैयद कौसर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सैयद कौसर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 2-16/2009/1-8.—श्री याकूब खेस्स, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रु. 7600/- में पदोन्नत करते हुए उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आवंटित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कारण पद उपलब्ध न होने पर अंतिम पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति पदावनत होंगे.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्रमांक 36/32/2010/1-8/स्था.—श्री क्षेत्रसिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-1-2010 से 23-01-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री क्षेत्रसिंह के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री क्षेत्रसिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षेत्रसिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 2-19/2008/1-8.—श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी, अनुभाग अधिकारी, आयाकट विभाग को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपये 6600/- में पदोन्नत करते हुए अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आवंटित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कारण पद उपलब्ध न होने पर अंतिम पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति पदावनत होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2010

फा. क्र. 524/डी- /21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्री देवराज सिंह सुराना, महाधिवक्ता, बिलासपुर को, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु, उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

F. No. 524/D- /21-B/C. G./2010.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Devraj Singh Surana, Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh, with effect from the date he has assumed charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्रमांक-एफ 3-6/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) को

तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़	थाना पूंजी पथरा, जिला-रायगढ़	ग्राम-गोवर्धनपुर	13
			ग्राम-लामीदरहा	15
			ग्राम-आमापाल	15
			ग्राम-रेगड़ा	15

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्रमांक-एफ 3-8/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-अभनपुर, जिला-रायपुर	थाना-मंदिरहसौद, जिला-रायपुर	ग्राम-नवागांव	23

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 9-1/2009/42.—विभागीय समसंख्यक आदेश के द्वारा राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन CSSDM के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा प्रारंभ की गई Skill Development Initiative Scheme (SDIS) का केन्द्र शासन के गाईडलाइन्स के अनुसार राज्य में अभियान के रूप में क्रियान्वयन किये जाने हेतु पूर्व में जारी शासन आदेश क्रमांक एफ 9-07/08/42 दिनांक 16-01-2008 में संशोधन कर आगामी आदेश तक के लिये एतद्द्वारा निम्नानुसार स्टेट कमेटी का गठन किया जाता है.

1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विभाग	-	अध्यक्ष
2.	समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
3.	अध्यक्ष, सी. आई. आई. छत्तीसगढ़ स्टेट रायपुर	-	सदस्य
4.	अध्यक्ष, फिक्की छत्तीसगढ़ स्टेट	-	सदस्य

5.	अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रायपुर	-	सदस्य
6.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ तिफरा, बिलासपुर	-	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़	-	सदस्य
8.	अध्यक्ष, आटोमोबाईल एसोसिएशन, छ. ग.	-	सदस्य
9.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बिल्डर्स एसोसिएशन	-	सदस्य
10.	प्रतिनिधि, डीजीईटी नई दिल्ली	-	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ रायपुर	-	सदस्य
12.	अध्यक्ष, इन्टुक छत्तीसगढ़ रायपुर	-	सदस्य
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CSSDM रायपुर	-	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्रमांक-228 एफ 7-69/32/08.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 816/एफ 7-69/32/08, दिनांक 11-05-2009 द्वारा भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) में निम्नानुसार भूमि उपयोग उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	अंगीकृत विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग	उपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुलगांव	127/1 एवं 128/1	0.331 (0.82 एकड़)	कृषि	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ठ उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर एवं बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चितकरण (Route Formulation) करती है.

अंबिकापुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
1.	कोरिया कॉलरी से बैढ़न	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, नागपुर, बैकुण्ठपुर, पटना, भैयाथान, बैजनाथपुर, ओड़गी, महसोक, बसनाथधारा, पाठा, चन्द्रनी, बिहारपुर, नवाडीह.
2.	कोरिया कॉलरी से रेनूकूट	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, नागपुर, बैकुण्ठपुर, पटना, भैयाथान, भैसामड़ा, प्रतापपुर, वाड्रफनगर.
3.	कोरिया कॉलरी से कटघोरा	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, सोनामनी, खड़गवां, रतनपुर, पोड़ीबचरा, सिरमिना, कोरबी, चोटियां.
4.	कोरिया कॉलरी से प्रतापपुर	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, नागपुर, बैकुण्ठपुर, पटना, सूरजपुर, विश्रामपुर, दतिमामोड़, भटगांव, भैसामुण्डा.
5.	कोरिया कॉलरी से कोरबा	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, सोनामनी, खड़गवां, रतनपुर, पोड़ीबचरा, सिरमिना, कोरबी, चोटियां, कटघोरा.
6.	कोरिया कॉलरी से कटघोरा	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, सोनामनी, खड़गवां, रतनपुर, पोड़ीबचरा, सिरमिना, कोरबी, चोटियां, पोड़ी उपरोड़ा.
7.	कोरिया कॉलरी से कोरबा	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, सोनामनी, खड़गवां, रतनपुर, पोड़ीबचरा, सिरमिना, कोरबी, चोटियां, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा.
8.	कोरिया कॉलरी से मनेन्द्रगढ़	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, सोनामनी, दुबछोला, खड़गवां, पोड़ीडीह, बरदर, शिवपुर, छोटे कलुआ, उधनापुर, बुदेली, तिराहा, बन्जी, पाराडोल, झगराखांड.
9.	कोरिया कॉलरी से बिहारपुर	चिरमिरी, नागपुर, बैकुंठपुर, पटना, टेंगनीमोड़, बड़सरा, भैयाथान, भैसामुण्डा, ओड़गी.
10.	कोरिया कॉलरी से बिहारपुर	चिरमिरी, हल्दीबाड़ी, नागपुर, बैकुंठपुर, पटना, सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी
11.	अंबिकापुर से उदारी	लटोरी, सोनगरा, सत्तीपारा, प्रतापपुर, धोन्धा, वाड्रफनगर, परसंरा, बुढ़ाटाड़
12.	अंबिकापुर से वाड्रफनगर	लटोरी, सोनगरा, सत्तीपारा, प्रतापपुर, धोन्धा
13.	अंबिकापुर से वाड्रफनगर	कल्याणपुर, खड़गवां, धरमपुर, प्रतापपुर, धोन्धा

रायपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—

क्र.	कहां से कहां तक	व्हाया
(1)	(2)	(3)
1.	खरोरा से जारा से रायपुर	पचरी, खरोरा, सारागांव
2.	खरोरा से बलौदाबाजार	जारा, सण्डी, पलारी, अमोरा
3.	जारा से रायपुर	सण्डी, भैसा, सारागांव, दोन्दे
4.	खरोरा से मंदिरहसौद	असोंदा, सकरी, चंदखुरी
5.	खरोरा से रायपुर	कठिया, पचरी, खरोरा, सारागांव
6.	खरोरा से चन्द्रपुर	बलौदा बाजार, कसडोल, सारंगढ़
7.	खरोरा से अभनपुर	असोंदा, सकरी, चन्द्रखुरी, मंदिर हसौद, राखी, पलौद, नवागांव
8.	खरोरा से सिलतरा	सारागांव, जीरो पाइंट, धनेली, धरसींवा, चरौदा
9.	खरोरा से माना कैम्प	आरंग, भिलाई, मोहला, गनौद, पलौद, कटोराभाटा, न्यू राजधानी
10.	तिल्दा से रायपुर	जोता, किरणा, कपसदा, धरसींवा, बिरगांव, भनपुरी
11.	आरंग से खरोरा	भानसोज, खोली, भड़हा, फरफौद, कुण्डा, टेकरी, कठिया, बेलटुकरी, नयागांव
12.	रायपुर से चन्द्रखुरी	भड़हा, कोसरंगी, सकरी, अमोदी, धौराभाटा, कुटेला, मुहेला
13.	आलेसुर से रायपुर	पंचरी, छड़िया, खरोरा
14.	आलेसुर से पंचरी	खरोरा
15.	आरंग से अभनपुर	भिलाई, मोखला, गनौद, पलौद, उपरवारा
16.	रहदा से आरंग	खपरी, बोहारडीह, फरफौद, जरौद
17.	आरंग से अभनपुर	कलाई, लींगाडीह, गिधवा, खपरी, तामासिवनी, तोरला
18.	आरंग से चन्द्रखुरी	कलाई, जरौद, भानसोज, कठिया, टेंकरी
19.	अर्जूनी से रायपुर	बल्दाकछार, सिरपुर, अचानकमार, कमगांव, महासमुंद, नदी, आरंग
20.	शिवपुर से कसडोल	बल्दाकछार, अर्जुनी, कोसमसरा
21.	बुदेली से बागबाहरा	तेंदुकोना, भुरकोनी
22.	गोड़पाली से आरंग	झलप, बावनकेरा, चौकबेड़ा, अरण्ड, महासमुंद

(1)	(2)	(3)
23.	महासमुन्द से छुरा	खटी, खम्हरीया, चोरभठी
24.	दुर्ग से देवभोग	रायपुर, राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, अमलीपदर, उरमाल
25.	कुरूद से धमतरी	कातलबोड़, सिवनी, सेमरा, दोनर, खरेगा, कोलीयारी
26.	कोड़ेगांव से कुरूद	हल्बा, नरहरपुर, माडमसिल्ली, कुकरेल, धमतरी, कोलयारी, खरेंगा, दोनर, सेमरा, कातलबोड़.
27.	कुरूद से कोड़ेगांव	मंदरौद, सेलदीप, सिवनी, सेमरा, देवरी, कण्डेल, सम्बलपुर, धमतरी, कुकरेल, माडमसिल्ली.
28.	महासमुंद से गरियाबंद	फिंगेश्वर, राजिम, पाण्डुका
29.	महासमुंद से गरियाबंद	फिंगेश्वर, तरीघाट, पाण्डुका
30.	महासमुंद से रसेला	फिंगेश्वर, राजिम, पाण्डुका, गरियाबंद
31.	रसेला से महासमुंद	फिंगेश्वर, बोरसी, पाण्डुका, गरियाबंद
32.	पिथौरा से राजिम	फिंगेश्वर, चैतरा, छुईया, छुरा
33.	झलप से गरियाबंद	मलय, महासमुंद, फिंगेश्वर, राजिम
34.	झारा से राजिम	भीमखोज, महासमुंद, फिंगेश्वर, किबोई
35.	बावनकेरा से छुरा	चौकबेढ़ा, झारा, भीमखोज, बागबहरा, छुरा
36.	बावनकेरा से राजिम	चौकबेढ़ा, झारा, भीमखोज, पचेड़ा, मामाभांजा
37.	बारनवापारा से राजिम	रायतुम, छिंदौली, बावनकेरा, झारा, भीमखोज
38.	पिथौरा से गरियाबंद	बोच, घोघरा, गोड़पाली, खुसरीपाली, मोहन्दी, पचेड़ा, राजिम
39.	रसेला से रायपुर	छुरा, फिंगेश्वर, राजिम
40.	गरियाबंद से कांकेर	मैनपुर, नगरी, दुधावा
41.	गरियाबंद से धमतरी	पाण्डुका, मगरलोड
42.	रायपुर से दुर्ग	अमलेश्वर, पाटन, उतई
43.	महासमुंद से देवभोग	राजिम, गरियाबंद, मैनपुर
44.	महासमुंद से मैनपुर	राजिम, गरियाबंद

(1)	(2)	(3)
45.	छुईया से रायपुर	फिंगेश्वर, राजिम, उपरवारा
46.	मण्डेली से रायपुर	फिंगेश्वर, राजिम
47.	मण्डेली से रायपुर	मुंडागांव, लोरमी, राजिम
48.	भीमखोज से चांदन	झारा, झलप, पिथौरा
49.	महासमुंद से धमतरी	राजिम, मगरलोड
50.	महासमुंद से नगरी	राजिम, मगरलोड, मोहंदी, सिधपुरी
51.	महासमुंद से नगरी	राजिम, नयापारा, कुरूद
52.	महासमुंद से चन्द्रपुर	झलप, सारंगढ़
53.	रायपुर से अण्डा	मोतीपुर, अम्लीडीह, औरी, बुधवा, अचानकपुर, ढौर, सेलूद, उतई, पऊवारा, जंजगीरी
54.	आमदी से रायपुर	पलारी, बोहारा, अरकार, बेलहारी, जामगांव, पाटन, फुण्डा
55.	अर्जुन्दा से अभनपुर	सकरी, चिचा, गुरेन्दा, डगनिया, मुरा, तिलौदा, सरसिंदा, मचान्दूर, गाड़ाडीह, पाटन, सोनपुर.
56.	पाटन से धमतरी	मोखली, सेमरी, बोरीद, रानीतराई, कुर्रा, अर्जुनी
57.	पाठन से कुरूद	तरीघाट, केसरा, रानीतराई, सेमरा, भखारा
58.	पाटन से कुरूद (मेघा)	मोखली, सेमरी, रानीतराई, सेमरा, भखारा
59.	कवर्धा से अंबिकापुर	पोड़ी, पाण्डातराई, पण्डरिया, खाम्ही, लोरमी, कोटा, रतनपुर, पाली, कटघोरा, तानाखार.
60.	कवर्धा से बलौदाबाजार	बेमेतरा, सिमगा, नांदघाट, भाटापारा, रवान, अर्जुनी
61.	कवर्धा से बलौदाबाजार	बेमेतरा, सिमगा, तिल्दा, हथबंद, सुहेला, रिसदा
62.	कवर्धा से पेण्ड्रारोड	पोड़ी, पाण्डातराई, पण्डरिया, खाम्ही, लोरमी, कोटा, गौरेला
63.	कवर्धा से कसडोल	बेमेतरा, सिमगा, नांदघाट, भाटापारा, बलौदाबाजार, लवण
64.	भोरमदेव से राजिम	कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, धरसींवा, रायपुर, अभनपुर, मानिकचौरी
65.	मानपुर से मरवाही	चौकी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खैरागढ़, गण्डई, कवर्धा, पण्डरिया, लोरमी, कोटा, पेण्ड्रा.
66.	सरायपाली से कवर्धा	बसना, पिथौरा, आरंग, खरोरा, तिल्दा, सिमगा, बेमेतरा

(1)	(2)	(3)
67.	कवर्धा से कोरबा	पण्डरिया, मुंगेली, बिलासपुर, अकलतरा, जांजगीर, चांपा, मड़वारानी, बरपाली
68.	कवर्धा से कोरबा	पण्डरिया, खाम्ही, लोरमी, खुंटा, रतनपुर, पाली, कटघोरा, छुरी
69.	अमौदी से रायपुर	रसौदा, कुसमुद, समौदा, चपरीद, अमौदी, गुल्लु, आरंग, मंदिर हसौद
70.	नवागढ़ से कठौतिया	झांकी, चरगवां
71.	नवागढ़ से दाढ़ी	झांकी, चरगवां
72.	नवागढ़ से खम्हरिया	अंधियारखोर, खण्डसरा, गर्रा, कोरसरा
73.	भाटापारा से झलप	अर्जुनी, रवन, बलौदाबाजार, अमेरा, बीनौरी, कोसमंदा, सोनरदेवरी, बांसबिनौरी, मोनाकोट.
74.	भाटापारा से महासमुंद	बलौदाबाजार, अमेरा, बीनौरी, कोसमंदा, सोनरदेवरी, बांसबिनौरी, कोहौंसी, गिधपुरी
75.	धुरूवागुढ़ी से कांकेर	अमलीपदर, झरीगांव, उमरकोट
76.	झरियाबाहरा से कांकेर	साकरा
77.	धुरूवागुढी से चंदानडीह	देवभोग, झाकरपारा
78.	बांसबिनौरी से देवभोग	रोहांसी, आरंग, नयापारा, राजिम, गरियाबंद, धुरूवागुढी, अमलीपदर
79.	बोरई लामी से महासमुंद	बुन्देली, तेन्दुकोना, कमलीझर, खुसरूपाली, मोहंदी, झारा
80.	बागबाहरा से बुन्देली	तेन्दुकोना
81.	मुरकोनी से बागबाहरा	तेन्दुकोना
82.	तेन्दुलोथा से महासमुंद	टेका, टुल्लू, खैरर, चण्डीझर, बागबाहरा, भीमखोज
83.	पिथौरा से महासमुंद	घोंच, घोघरा, खुसरापाली, झारा, मीहन्दी
84.	खट्टीनर्रा से पटेवा	खैरटकला, मलेसर, कोमाखान, बागबाहरा, भीमखोज, पाली, झारा, रामखेड़ा, मानपुर.
85.	तिल्दा से भाटापारा	गुड़गहन, भटमेरा, तुलसी, मानपुर, कोटा
86.	रायपुर से बलौदाबाजार	धरसींवा, लिवरईया, कपसदा, जोता, तंरवा, बैकुण्ठ, तिल्दा, सुहेला
87.	आलेसुर से रायपुर	पचरी, छड़िया, खरोरा
88.	आरंग से खरोरा	छटौना, भानसोज, सकरी, कोसरंगी

(1)	(2)	(3)
89.	रायपुर से कोमाखान	आरंग, महासमुंद, मोहंदी, पाली, खुसरूपाली, बागबाहरा
90.	बारनयापारा से चम्पारण	रायतुम, बावनकेरा, चौकबेढ़ा, खल्लारी, कोसरंगी
91.	खरोरा से महासमुंद	भैसा, सकरी, समान्दा, आरंग
92.	टेमरी से पिथौरा देवरी	गांप्पर, मुनगाशेर, मुरकोनी, पिथौरा
93.	बागबाहरा से पिथौरा सांभर	गांप्पर, मुनगाशेर, मुरकोनी, पिथौरा
94.	झलप से बागबाहरा	नरतोरा, शिर्री
95.	धरसींवा से खरोरा	लिवरईया, कपसदा, जोता, सेन्चुरी, बैकुण्ठ
96.	बागबाहरा से रसेला	कोमाखान, छुरा, धौराभाठा
97.	बागबाहरा से गरियाबंद	कोमाखान, छुरा, धौराभाठा, छुरा
98.	बागबाहरा से बारनयापारा	झलप, नरतौरा, रायतुम
99.	बागबाहरा-रायतुम से महासमुंद	मुलप, पिटियाझर, महासमुंद
100.	सोरमसिंधी से रसेला	भीमखोज, बागबाहरा, कोमाखान
101.	खट्टीनर्रा से कोसमी	कोमाखान, धौराभाठा, छुरा
102.	मगरलोड से नयापारा	दहदहा, गुदगुदा, नारी
103.	फिंगेश्वर से छुरा	राजिम, फिंगेश्वर, सोरीद, बोरीद, खड़मा
104.	मगरलोड से रायपुर	कुरूद
105.	खरोरा से जारा	खरतोरा, सण्डी, भैंसा
106.	मोहन्दी से खरोरा	अंड़सेना, सारागांव
107.	राजिम से कामराय	फिंगेश्वर, सोरीद, बोरीद, मुड़ागांव, खड़मा, छुरा
108.	चौकबेड़ा से सिमगा	झारा, सोरमसिंघी, मोहन्दी, महासमुंद, आरंग, खरोरा
109.	कवर्धा से बलौदाबाजार	बेमेतरा, सिमगा, नांदघाट, भाटापारा
110.	कवर्धा से बलौदाबाजार	बेमेतरा, नवागढ़, मारो, संबलपुर, मानपारा
111.	नवागढ़ से रायपुर	हाथाडारू, बहरलोड़, कटई, बुचीपुर, बदनारा, मल्दा, नांदघाट, सिमगा

(1)	(2)	(3)
112.	कवर्धा से देवरबिजा	गोछिया, खम्हरिया, देवरबिजा, दहीमही
113.	कवर्धा से बेरला	गोछिया, खम्हरिया, देवरबिजा, खेसोड़
114.	कवर्धा-भोरमदेव से पचराही	राजनांदगांव, बोड़ला, बैजलपुर
115.	कवर्धा से दामापुर	बिरकोना, पिपरिया, मरका, कोपलारी
116.	कवर्धा से दाढ़ी	बिरकोना, पिपरिया, मरका, पचमैया
117.	कवर्धा से भाटापारा	पिपरिया, दाढ़ी, नवागढ़, मारो, नारायणपुर
118.	कवर्धा से बेकला तिर्थि	पोंडी, पण्डरिया, देवसरा, कुकदुर
119.	कवर्धा से बेकला तिर्थि	पोंडी, बोड़ला, बैजलपुर, कुकदुर
120.	कवर्धा से परपोड़ी	खम्हरिया, साजा, देवकर
121.	पाटन से कुरूद	सोनपुर, तरीघाट, सेमरा, भरवारा, देवरी, देवपुर से डाही, सिहाद से देवरी, सिमराई
122.	पाटन से पावरहाऊस	चिचरा, असनारा, लोहरसींग, जामगांव, मोतीपुर, अमलीडीह, सिरसागेट
123.	टेल्हारी से पावरहाऊस	रानीतराई, पाटन, झीट, मोहदा, मोतीपुर, सिरसागेट
124.	धमतरी से पावरहाऊस	अर्जुनी, कोरा, रानीतराई, पाटन, झीट, सिरसागेट
125.	पावरहाऊस से कुरूद	सिरसागेट, जामगांव, तर्रा, पाटन, सेमरा, भखारा, डाही, भुसरेगा
126.	पाटन-रानीतराई-धमतरी-गुरूर	सेमरी, मोखली, रानीतराई, कोरा, अर्जुनी, धमतरी, खोरदो, खुदनी, दियाबाती
127.	रानीतराई से धमतरी-गुरूर	कोरा, तारसीवा, अर्जुनी, धमतरी, कंवर, खट्टी, खुदनीय, दियाबाती, अखराभाठा, बोहारडीह.
128.	पाटन से रायपुर	सिकोला, टोला, परसदा, टेकारी
129.	पाटन से कुरूद	तरीघाट, भेरेगाभाठा, सेमरा, भखारा
130.	आमदी से रानीतराई-पाटन से रायपुर	सनोद, बेलहारी, भिपानी, रानीतराई, मोखली, सेमरी, पाटन से रायपुर
131.	जामगांव से रानीतराई-धमतरी	भरर, करेला, रानीतराई, कोरा, अर्जुनी
132.	राजनांदगांव से मुढ़पार	अर्जुनी, डोंगरगांव, बांधा, चौकी, आमाटोला, चिल्हारी
133.	मोहला से दल्लीराजहरा	विजयपुर, सोनसायटोला, सोमाटोला, दनगढ़, गोटाटोला
134.	रोहासी से सिमगा	बिलौरी, पलारी, जतान, देवसुंदरा, पाइंग्लडीह, परसवानी, छपौरा, तिल्दा, नेवरा

(1)	(2)	(3)
135.	राजनांदगांव से अतरिया	तिलई, गोपालपुर, घुमका, जालबांधा
136.	बलौदाबाजार से पामगढ़	लाहौद, लवन, जोंधरा, सोनसरी, ससहा
137.	खरतोरा से पामगढ़	ओडान, ओडगन, रोहासी, लवन, जोंधरा
138.	रायपुर से पामगढ़	भाटागांव, खरोरा, बटतोरा, रोहासी, लवन, जोंधरा, ससहा
139.	बलौदाबाजार से सण्डी	पलारी, अमोरा
140.	कसडोल से बलौदाबाजार	लवन, लाहौद
141.	जांजगीर से रायपुर	पामगढ़, ससहा, लवन, खरतोरा, खरोरा
142.	कुकराडीह से राजनांदगांव	महासमुंद, रायपुर, दुर्ग

जगदलपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—

1.	बीजापुर-मद्देड से वेंकटापुरम	

बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—

1.	हेडसपुर से चांपा	पंतोरा, पहरिया, बलौदा, जर्वे, हरदी, नैला
2.	सरिया से रैंगारपाली	बोंदा, कटंगपाली, चन्द्रपुर, बड़ेभण्डार, उमरिया, गोतमा, पुसौर, बाघाडोला
3.	खरसिया से सारंगढ़	डभरा, छपोरा, हसोद, जैतुपुर, सरसीवा, कोसीर, जशपुर
4.	चन्द्रपुर से बलौदा	डभरा, छपोरा, हसोद, बिर्रा, केरा, शिवरीनारायण, केरा
5.	कोरबा से मुरली	कुसमुण्डा, हरदीबाजार, बोईदा
6.	हेडसपुर से बलौदा	पहरिया, पोंच, रसोटा
7.	बिलासपुर से पेण्ड्रारोड	रतनपुर, बेलगहना, कोंचरा, खोंगसरा, खोडरी
8.	खोंगसरा से कवर्धा	कोंचरा, बेलगहना, सेमरिया, कोटा, लोरमी, पण्डरिया
9.	बिलासपुर से अकलतरा	खैरा, गतौरा, जयरामनगर, कोड़िया, अकलतरी, दलहापोड़ी, खटाला

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

क्रमांक 03/अ-82/09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध के उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	तखतपुर	0.097	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तखतपुर.	कर्मचारी आवास गृह

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्रमांक/253/अ.भू-अ. प्र./01/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	नगपुरा प. ह. नं. 02	0.599	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नगपुरा जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्रमांक/256/अ.भू-अ. प्र./02/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	रसमड़ा प. ह. नं. 04	2.52	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	रसमड़ा जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-करमंदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	104	0.15
	49/7	0.02
	37/4	0.20
योग	3	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भैंसमा गोढ़ी मार्ग के 2/4 सेतु निर्माण पर करमंदी नाला में आने वाली निजी भूमि के प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्रमांक/118/11 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगनवाही, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1087	0.05
	1094/2	0.01
	1095	0.01
योग	03	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्रमांक/121/10 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-चिल्हाटीकला, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	353/1	0.38
	370/1	1.12
योग	02	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पारी जलाशय के डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक/खनि./2009/32.—छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला-कोरबा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज

रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	भूमि का प्रकार (8)
1.	कोरबा	करतला	देवलापाट	532	0.53 एकड़	चूनापत्थर	निजी भूमि

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2009/3630.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र. (1)	रा. मा. क्र. (2)	बकायादार का नाम (3)	नाम दुकान (4)	बकाया वर्ष (5)	बकाया राशि (6)
4	2/बी/96/2002-03	श्री अंगद तिवारी, वल्द गजानंद तिवारी	पी. एस. 3, दुकान, रायपुर जिला समूह	2002 2003	4,37,500/-

वाय मेश्राम,
अति. तहसीलदार (आबकारी).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th January 2010

No. 32/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division

as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri C. B. Bajpai, District & Sessions Judge.	Dhamtari	Mahasamund	Mahasamund	District & Sessions Judge Vice Shri Anil Kumar Shukla.
2.	Shri Anil Kumar Shukla, District & Sessions Judge.	Mahasamund	Dhamtari	Dhamtari	District & Sessions Judge Vice Shri C. B. Bajpai.
3.	Shri Ashok Kumar Goyal, Special Judge under S. C. & S. T. (Prevention of Atrocities) Act.	Raipur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge Vice Shri Sharad Kumar Gupta.
4.	Shri Pradeep Kumar Dave, Judge, Family Court.	Manendragarh	Korba	Korba	District & Sessions Judge Vice Shri Mahadev Katulkar.
5.	Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge.	Korba	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	District & Sessions Judge Vice Shri Dinesh Kumar Tiwari.

Bilaspur, the 28th January 2010

No. 34/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is hereby posted on the post of Special Judge, as mentioned in Column No. (6) of the table below, of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ganpat Rao, II Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Vice Shri Ashok Kumar Goyal.

Bilaspur, the 28th January 2010

No. 36/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Doctorlal Katakwar, Additional District & Sessions Judge.	Dhamtari	Mahasamund	Mahasamund	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Balram Prasad Verma, IV Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge Vice Shri Ganpat Rao.

Bilaspur, the 28th January 2010

No. 38/Confdl./2010/II-15-21/2000 (Pt.V).—The following Additional District Judge (appointed on ad-hoc basis for serving in Fast Track Courts), as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Additional District Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Phool Singh Penkra, II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Janjgir-Champa	Durg	Durg	XI Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri Ravi Shankar Sharma.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.